हरियाणा सरकार
कृशि तथा किसान कल्याण विभाग
अधिसूचना

सं.1755–Agri-II(1)–2017/9299 चंडीगढ, दिनांकः–13.06.2017

हरियाणा के राज्यपाल भारत सरकार कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता कल्याण के प्र"ाासकीय अनुमोदन संदर्भ संख्या 13015/03/2016–कैडिट–II, दिनांक 23–02–2014 के अनुसार खरीब 2017 तथा रबी 2017–18 के दौरान राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0) को लागू करने के लिए क्षेत्रों, फसलों, क्षतिपूर्ति स्तर, बीमाकृत रा"ा, किस्त दरें तथा मौसमी अनु"ाासन इत्यादि को निम्न अनुसार अधिसूचित करते हैं ।

1. **बीमा के अंतर्गत आने वाली फसलें (अधिसूचित फसलें)**
धान, बाजरा, मक्का तथा कपास की फसलें खरीफ 2017 के दौरान तथा गेहूं, चना, जौं तथा सरसों की फसलें रबी 2017–18 के दौरान कवर की जायेंगी।
2. **बीमा ईकाई (आई यू)**
पी0एम0एफ0बी0वाई0 की बीमा इकाई (आई यू) क्षेत्रीय दृष्टिकोण के सिद्वान्त पर चलाई जायेगी । बीमा इकाई(आई0यू0) राजस्व सम्पदा (ग्राम) स्तर पर होगी ।
3. **बीमा के अतंर्गत आने वाला क्षेत्र**
पी0एम0एफ0बी0वाई0 का कियान्वयन पूरे राज्य में कलस्टर दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा। क्लस्टर में आने वाले जिले निम्नानुसार हैं :–

समूह–I	**समूह–II**	**समूह–III**
सिरसा	हिसार	फतेहाबाद
भिवानी तथा चरखी दादरी	सोनीपत	रोहतक
फरीदाबाद	गुडगांव	झज्जर
कुरूक्षेत्र	करनाल	नूंहूं
कैथल	अम्बाला	पलवल
पंचकूला	जीन्द	पनीपत
रेवाडी	महेन्द्रगढ	यमुनानगर

4. **जोखिम क्षेत्र तथा बहिश्करण का कवरेज**
फसल तथा जोखिम की निम्नअवस्थाएं जिनसे फसल को क्षति होती है, इस योजना के अंतर्गत लाई जाएंगी।
(क) निवारित बुआई / रोपण जोखिमः वर्षा की कमी या प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से बीमित क्षेत्र को बुआई /रोपण से बचाव में जोखिम को कवर किया जाएगा।
(ख) खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक)ः व्यापक जोखिम बीमा अनिवारण योग्य जोखिम अर्थात सूखा, शुष्क समय, बाढ़, आप्लावन, महामारी तथा बीमारी, भूस्खलन, प्राकृतिक अग्नि तथा बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान (टाइफून), झझावात (तूफान) प्रभंजन (तूफान) तथा बवन्डर के कारण फसल हानियों को कवर करने के लिए दिया जायेगा ।
(ग) पोस्ट–फसल हानियांः रा"ा कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि तक केवल उन फसलों के लिए उपलब्ध होगी जो कटाई में सूखने तथा चक्रवात, चक्रवाती तथा

बेमौसमी बारि"ा के वि"ोष जोखिम में विरूद्व कटाई के बाद खेत में बिखरी हुई स्थिति के लिए अनुज्ञात है ।

(घ) स्थानीय आपदायें: ओलावृष्टि, भूस्खलन तथा आप्लावन से प्रभावित इक्का–दुक्का खेतों के परिलक्षित स्थानिक जोखिमों को घटना से हुई हानि/नुकसान शामिल होंगे।

साधारण बहिस्करण: युद्व तथा नाभिकीय जोखिम, विद्वेषपूर्ण नुकसान तथा अन्य निवार्य जोखिमों से उत्पन्न हानियां वर्जित होंगी।

5. लागू करने वाली एजेंसियां:–

1	समूह–I	आई0सी0आई0सी0आई0 जनरल इन्"योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
2	समूह–II	बजाज इलियांज जनरल इन्"योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
3	समूह–III	बजाज इलियांज जनरल इन्"योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

6. कवर किये जाने वाले किसान

(क) बीमा इकाई में अधिसूचित फसलें उगाने वाले हिस्सा–फसल–उत्पादकों तथा का"तकारों सहित सभी किसान स्कीम के अधीन रा"ा के लिए पात्र होंगें ।

(ख) अधिसूचित फसलों के लिए वित्तीय संस्थाओ (अर्थात कर्जदार किसान) से मौसमी कृषि आपरे"ान (एस0ए0ओ0) कर्ज का लाभ उठाने वाले सभी किसान अनिवार्य रूप से शामिल होंगे ।

(ग) अकर्जदार किसानों के लिए स्कीम वैकल्पिक होगी ।

7. क्षतिपूर्ति स्तर

सभी अधिसूसचित फसलों के मामले में क्षतिपूर्ति स्तर 90 प्रति"ात होगा ।

8. थ्रे"ाहोल्ड उपज

खण्ड वार थ्रे"ाहोल्ड उपज अनुबन्ध–क में दी गई है। उन खण्डों के मामले में जिनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक आंकडे उपलब्ध नहीं है उनके सम्बन्ध में राज्य की औसत प्रारम्भ उपज दावों की संगणना करने के लिए प्रारम्भ उपज के अनुसार ली जायेगी।

9. बीमाकृत रा"ा, किस्त दर तथा किस्त आर्थिक–सहायता

बीमाकृत रा"ा, किस्त दर तथा किस्त आर्थिक–सहायता अनुबन्ध–ख में दी गई है ।

10. मौसमी अनु"ाासन

मौसमी अनु"ाासन निम्नानुसार है :–

क0सं0	कार्यकलाप	खरीफ	रबी
1	ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य (खरीफ 2017 तथा रबी 2017–18 के लिए) ऋण अवधि (स्वीकृत/नवीकृत ऋण)	अप्रैल से जुलाई	अक्तूबर से दिसम्बर
2	किसानों के प्रस्तावों/किसानों (ऋणी/अऋणी) के खाते से प्रीमियम काटने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई	31 दिसम्बर
3	अनिवार्य आधार पर कवर हुए ऋणी किसानों तथा सम्बन्धित बीमा कम्पनियों तथा पी0ए0सी0एस0, डी0सी0सी0बी0 की बैंक शाखाओं (सी0बी0/आर0आर0बी0) से स्वैच्छिक आधार पर कवर किए गए अऋणी किसानों की अन्तिम तिथि	अन्तिम तिथि के बाद ऋणी किसानों के लिए 15 तथा अऋणी किसानों के लिए सात दिन के भीतर	
4	बीमा कम्पनियों के नियुक्त बीमा एजेंटों से स्वैच्छिक आधार पर कवर किए गए किसानों की घोषणाओं की प्राप्ति के लिए	घोषणा/किस्त की प्राप्ति के सात दिन के भीतर	

	अन्तिम तिथि	
5	अनिवार्य आधार पर कवर किए गए ऋणी किसानों तथा सम्बन्धित डी0सी0सी0बी0/नोडल बैंकों (सहकारी के लिए स्वैच्छिक आधार पर कवर किए गए अऋणी किसानों के पस्तावों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि)	सम्बन्धित नोडल बैंक कार्यालयों से घोषणा की प्राप्ति के सात दिन के भीतर
6	वणिज्यिक बैंकों/आर0आर0बी0/ पी0ए0सी0 एस0/मध्यस्थों द्वारा व्यक्तिगत बीमाकृत किसानों के ब्यौरों की साफ्ट प्रति अपलोड करना	किसानों से किस्त के संग्रहण कू लिए अन्तिम तिथि के बाद 15 दिन के भीतर होने के मामले में आगामी अन्तिम दिन को अवका”ा कार्य दिवस को अन्तिम दिन के रूप में समझा जायेगा ।
7	फसल आंकडों (डाटा) की प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि	अन्तिम कटाई से एक मास के भीतर
8	फसल आंकडों (डाटा) पर आधारित अन्तिम दावों की प्रकिया, अनुमोदन तथा भुगतान	फसल आंकडों (डाटा) की प्राप्ति से तीन सप्ताह

11.किसानों से प्रस्तावों तथा किस्त का संग्रहण

(क) किसानों से प्रस्ताव भारत सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी पी0एम0एफ0बी0वाई0 के दि”ाा निर्दे”ाों के पैरा (x) के अनुसार बैंकों द्वारा संगृहित/प्राप्त किये जायेंगे ।

(ख) बैंक/”ााखाएं अनुबद्व अन्तिम तिथियों के भीतर लागू करने वाली एजेंसियों को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा फसल बीमा पोर्टल में बीमाकृत ब्यौरों की साफ्ट प्रति अपलोड भी की जायेगी/घोषणाओं/प्रस्तावों के फार्मेट में ब्योरे फसल बीमा पोर्टल में मुहैया फार्मेट के अनुसार दिए जाएंगे । कथित ब्यौरे अनुबन्ध–ग में दिए गए हैं ।

(ग) बैंक निदे”ाक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा तथा समबन्धित लागू करने वाली एजेंसियों से बीमाकृत किसानों, कवर क्षेत्र तथा संगृहीत किस्त की संख्या की साप्ताहिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगें ।

(घ) गैर ऋणी किसानों के मामले में लागू करने वाली एजेंसी आवेदक किसान के बीमा योग्य हित का सत्यापन करने तथा भूमि रिकार्ड, रकबे के ब्यौरे, द”ााई गई फसलों तथा हिस्सा का”तकार इत्यादि के मामलें में ठेका/करार ब्यौरे संगृहित करने के लिए जिम्मेवार होंगी ।

(ड) किसी कारण से यदि कोई किसान पूर्व फसल बीमा योजना को बदलता है तो उसे बैंक/बीमा कम्पनियों/बीमा मध्यस्थ के माध्यम से बीमा क्रय करने की अन्तिम तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्ण बीमा कम्पनी को परिवर्तन सूचित करना होगा ।

12.उपज में हानि/कमी का निर्धारण

फसल में हानि/कमी के निर्धारण के लिए दि”ाा निर्दे”ाों में वर्णित प्रकिया का पालन किया जायेगा ।

(क) निवारित बुआई/ रोपण जोखिम

(i) निवारित बुआई/रोपण के रूपये देने के प्रयोजन के लिए अन्तिम तिथि खरीफ फसलों के मामले में 31 अगस्त तथा रबी फसलों के मामले में 15 जनवरी होगी ।

(ii) राज्य सरकार इकाई प्रति”ातता के अनुमानित क्षेत्रों सहित खराब हुई निवारित बुआई/ रोपण स्थिति के अनुसार बीमा इकाई(आई0यू0) घोषित करेगी। उप निदे”ाक कृषि तथा सम्बन्धित तहसीलदार सहित एस0डी0ओ0 (सिविल) की अध्यक्षता में समिति खरीफ फसलों के मामले में 31

अगस्त तक तथा रबी फसलों के मामले में 15 जनवरी तक उपायुक्त के माध्यम से निदे”ाक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा को इसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी ।

(iii) निवारित बुआई/ रोपण के लिए निकटतम उपलब्ध वर्षा माप केन्द्र (आर0जी0एस0) में अभिलिखित आंकडों (डाटा) को जब कभी अपेक्षित हो विचारा जायेगा । वर्षा माप केन्द्रो के ब्यौरे अनुबन्ध–घ में हैं । यदि निकटतम मामला वर्षा माप केन्द्र (आर0जी0एस0) किसी कारण से क्रिया”ील नहीं है, तो निकटतम दूसरे वर्षा माप केन्द्र (आर0जी0एस0) इत्यादि के वर्षा माप केन्द्र को निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(ख) खड़ी फसल (व्यापक फैली हुई आपदाएं)

(i) उपज में कमी फसल कटाई प्रयोग (सी0सी0ई0एस0) के माध्यम से अनुमानित वास्तविक उपज से प्रारम्भ उपज की तुलना करते संगणित की जायेगी । फसल कटाई प्रयोंग (सी0सी0ई0) विभिन्न बीमा इकाई (आई0यू0/खण्डो/जिलों/राज्य में स्कीम में शामिल रकबे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्ि”चत माप पर विभिन्न फसलों के लिए किया जायेगा ।

(ii) उन मामलों में जहां प्रर्याप्त फसल क्षेत्र की अनुपलब्धता के कारण फसल कटाई प्रयोग (सी0सी0ई0) की अपेक्षित संख्या का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता, तो ऐसे बीमा इकाई (आई0यू0) के लिए उपज अनुमान आगामी उच्चतर ईकाई अर्थात ब्लाक की उपज स्वीकार करते हुए तैयार किया जायेगा। यदि ब्लाक में क्षेत्र भी अपर्याप्त है , तो जिले की उपज ग्रहण की जायेगी । यदि जिले में क्षेत्र अपर्याप्त है, तो राज्य की औसत उपज ग्रहण की जायेगी ।

(iii) मध्य–मौसम में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण दावों के भुगतान के संबन्ध में, राज्य सरकार क्षेत्रीय कर्मचारियों तथा मिडिया रिपोर्टों आदि द्वारा वर्षा के आंकडे, फसल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हानि की अधिसूचना जारी करेगी ।

(iv) उप निदे”ाक कृषि सहित एस0डी0ओ0 (सिविल) की अध्यक्षता में, सदस्यों के रूप में सम्बन्धित तहसीलदार तथा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि की एक समिति, जब कभी ऐसी विपत्ति घटित होती है, उपायुक्त के माध्यम से निदे”ाक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा को लेखागत अदायगी के लिए पात्रता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(v) दावों की लेखागत अदायगी स्वीकार्य नहीं होगी यदि विनिर्दिष्ट/अधिसूचित फसल की साधारण कटाई के समय से पूर्व 15 दिन के भीतर ऐसी विपत्ति घटित होती है ।

(ग) कटाई उपरान्त हानियां:–

(i) तूफान, चक्रवात वर्षा तथा बेमौसमी वर्षा के परिणामस्वरूप कटाई से अधिकतम 14 दिन के समय तक कटी हुई तथा बिखरी हुई स्थिति में खेतों में पडी काटी हुई फसल के नुकसान के मामले में उपज हानि का निर्धारण व्यक्तिगत प्लाट पर आधारित होगा ।

(ii) लागू करने वाली एजेंसी पोस्ट कटाई हानियों की प्रक्रिया के कारण हानियों के निर्धारिण के लिए दि”ाा निर्दे”ा में दी गई योग्यता रखने वाले हानि निर्धारिकों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त करेगी ।

(iii) ब्लाक कृषि अधिकारी, हानि निर्धारक तथा सम्बन्धित किसान से मिलकर बनी टीम द्वारा संयुक्त रूप से हानि निर्धारित की जायेगी।

(घ) स्थानीय जोखिम

(i) स्थानीय संकट/आपदाओं अर्थात भू–स्खलन, ओलावृष्टि तथा जलभराव से प्रभावित बीमित इकाई या खेत के भाग की घटना के मामले में उपज हानि का निर्धारण व्यक्तिगत खेत स्तर पर आधारित होगा ।

(ii) लागू करने वाल एजेंसी स्थानिक जोखिमों की प्रक्रिया के कारण हानियों के निर्धारण के लिए दि”ाा निर्दे”ा में दी गई योग्यताएं रखने वाले हानि निर्धारकों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त करेंगी ।

(iii) ब्लाक कृषि अधिकारी, हानि निर्धारक तथा सम्बन्धित किसान से मिलकर बनी टीम द्वारा संयुक्त रूप से हानि निर्धारित की जायेगी ।

(iv) यदि अधिसूचित फसल के अधीन प्रभावित क्षेत्र बीमित इकाई में कुल बीमाकृत क्षेत्र के 25 प्रति"ात से अधिक है, तो दि"ाा निर्दे"ा के पैरा (xv), (i) (क) (v) के अनुसार सभी पात्र किसान वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे । हानि की प्रति"ातता प्रभावित क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण एस0डी0ओ0 (सिविल) , उप निदे"ाक कृषि, सम्बन्धित तहसीलदार तथा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि की समिति द्वारा निर्णय के अनुसार की अपेक्षित प्रति"ातता तक पहुंचनी होगी ।

(ड) यदि लागू करने वाली एजेंसी का प्रतिनिधि जहां कहीं समिति का भाग है, समिति की बैठक में उपलब्ध नहीं है/भाग नहीं लेता या निरीक्षण के दौरान साथ नहीं चलता है, तो समिति के अन्य सदस्य अभिभावी तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेंगे जोकि अन्तिम होगा ।

13.क्षेत्र सम्बधी विसंगति

बीमा कम्पनी तथा बैंक सुनि"चत करेंगे कि अधिक बीमा का कोई भी मामला घटित न हो । इस सम्बन्ध में किसी भिन्नता को भूमि रिकार्ड, बैंक रिकार्ड, किसानों के प्रस्तावों/आवेदनों की सहायता से बीमा कम्पनी द्वारा ठीक की जायेगी ।

14.योजना की निगरानी

(i) बीमा कम्पनी सुनि"चत करेगी कि लाभार्थियों का लगभग 5 प्रति"ात उनके क्षेत्रीय कार्यालयों/स्थानीय स्तर के कार्यालयों द्वारा सत्यापित है तथा रिपोर्ट जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति (डी0एल0एम0सी0) को भेजी जायेगी ।

(ii) डी0एल0एम0सी0 लाभाथियों का कम से कम 10 प्रति"ात क्रास सत्यापित करेगी तथा निदे"ाक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की रिपोर्ट भेजेगी।

(iii) लाभार्थियों का 1 से 2 प्रति"ात तक बीमा कम्पनी के मुख्यालय द्वारा सत्यापित किये जायेंगे तथा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजेगी ।

14.अन्य भार्ते

(i) चयनित बीमा एजेंसी चंडीगढ या पंचकूला में राज्य स्तर का कार्यालय तथा मोबाईल फोन से अलग नियमित लैंडलाईन फोन सहित सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यालय होने चाहिए/खोलेगी । कार्यालय में टेलीफोन कालों को संभालने के लिए कम से कम एक योग्य कर्मचारी नियमित रूप से उपलब्ध होना चाहिए । कार्यालय कर्मचारियों, टेलीफोन नम्बर, डाक पता इत्यादि के ब्यौरे निदे"ाक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा तथा सम्बन्धित उप कृषि निदे"ाक को प्रस्तुत किये जायेंगे । टेलीफोन नम्बर महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कि उपायुक्त कार्यालय, तहसील, बैंक, मण्डी तथा किसानों द्वारा निरीक्षण करने वाले अन्य स्थान पर आम जनता की जानकारी के लिए प्रदर्"ात करने चाहिए ।

(ii) बैंक सुनि"चत करेंगे कि फसल ऋण/अधिसूचित फसलों के लिए मौसमी कृषि प्रक्रिया का लाभ उठाने वाले सभी किसान स्कीम के अधीन बीमाकृत है ।

(iii) लागू करने वाली एजेंसी, बैंक तथा अन्य पणधारो स्कीम के प्रभावी लागूकरण के लिए दि"ाा निर्दे"ा में मुहैया सभी आई0टी0 तथा अन्य प्रोटोकोल (पूर्व लेख) तथा भारत सरकार समय–समय पर तथा राज्य सरकार द्वारा विनि"चत अनुसार उसके स्थान पर रखेंगे ।

(iv) बीमा कम्पंनियां सम्बन्धित मौसम (खरीफ तथा रबी) के लिए अधिसूचित कट–आफ तिथि के एक मास के भीतर किसानों के ब्यौरे/बीमाकृत/लाभार्थियों की सूचि मुहैया करायेगी। जिसमें असफल होने पर उसे प्रति मौसम पांच लाख रूपये की शास्ति का भुगतान के लिए समायोजित की जायेगी ।

(v) बीमा कम्पनी विभाग के बैब पोर्टल पर किसानों के ब्यौरे/बीमाकृत की सूचि /लाभार्थियों के आंकडे अपलोड करेगी ।

(vi) स्थानिक दावे के मामले में, बीमा कम्पनी का सर्वेक्षक पी0एम0एफ0बी0वाई0 मार्गद”र्शन में यथा विनिर्दिष्ट अनुबद्व समय में क्षेत्रीय कृषि अधिकारी सहित निरीक्षण करेंगी । जिसमें असफल होने पर उन्हें पांच हजार रूपये प्रति केस जुमाना देना होगा।

(vii) बीमा कम्पंनियां सम्बन्धित उप कृषि निदे”ाक के अनुमोदन के बाद फसल बीमों के खेत में भलीभांति अर्हक तथा प्र”िाक्षित व्यक्तियों को भेजेगी ।

16. विभिन्न एजेंसियों की भूमिका तथा जिम्मेवारियांः–

विभिन्न एजेंसियां अर्थात केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, बीमा कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं/बैंको, बीमा एजेंटो तथा किसानों की भूमिका तथा जिम्मेवारियां दि”ाा निर्दे”ा में वर्णित अनुसार होंगी ।

डा0 अभिलक्ष लिखी
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ।

पृ0क्रमांकः– 1755–Agri-ाा(1)–2017/9300 दिनांकः–13.06.2017

एक अतिरिक्त प्रति सहितएक प्रति हरियाणा साधारण राजपत्र में अधिसूचना प्रका”ात करने के लिए नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, सैक्टर–6, पंचकूला को भेजी जाती है ।

–हस्त.–
अवर सचिव
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ।

पृ0क्रमांकः– 1755–Agri-ाा(1)–2017/9301 दिनांकः–13.06.2017

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आव”यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती हैः–

1. अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग ।
2. अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सहकारिता विभाग ।
3. अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग ।
4. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पंचकूला ।
5. निदे”ाक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ।
6. निदे”ाक, अर्थ तथा सांख्यिकीय वि”लेषण, हरियाणा, पंचकूला ।
7. महानिदे”ाक, भू–अभिलेख, हरियाणा, पंचकूला ।
8. महानिदे”ाक, बागवानी हरियाणा, पंचकूला ।
9. संयुक्त निदे”ाक (सांख्यिकी), कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ।
10. निदे”ाक, (क्रेडिट) भारत सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, प्लाट नं0 3, सैक्टर–34, चंडीगढ ।
12. महा प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक (आर0पी0सी0डी0) केन्द्रीय विस्टा, सैक्टर–17, चंडीगढ ।

13. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड, एस0सी0ओ0 नं0 64–65, सैक्टर–8 सी0, चंडीगढ ।
14. महाप्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, पी0एन0बी0, जोनल कार्यालय, सैक्टर–17, चंडीगढ ।
15. प्रबन्धक निदे"ाक, हरियाणा राज्य अपैक्स सहकारी बैंक, सैक्टर–17, चंडीगढ ।
16. आई0सी0आई0सी0आई0 लम्बार्ड जनरल इन्"ायोरेंस कम्पनी लिमिटेड, स्टेटमैंट भवन, प्लाट नं0 149, फेस–I, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ ।
17. बजाज एलियांज, जनरल इन्"ायोरेंस कम्पनी लिमिटेड, जी0ई0–प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, यरवाडा पुणे–411006

–हस्त.–
अवर सचिव
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ।

पृ0क्रमांकः– 1755–Agri-II(1)–2017/9302 दिनांकः–13.06.2017

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आव"यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती हैः–

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदे"ाक, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड, 13वीं मंजिल, अम्बादीप भवन, 14 कस्तूरबा गांधी मार्ग कैनाट पैलेस, नई दिल्ली–110001

–हस्त.–
अवर सचिव
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ।

पृ0क्रमांकः– 1755–Agri-II(1)–2017/9303 दिनांकः–13.06.2017

एक प्रति माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा की जानकारी के लिए प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री को भेजी जाती हैः–

–हस्त.–
अवर सचिव
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ।

सेवा में

प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री,
हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ

यूओ. स0ः– 1755–Agri-II(1)–2017/1003 दिनांकः–13.06.2017

पृ0क्रमांकः— 1755—Agri-II(1)—2017/1004 दिनांकः—13.06.2017

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती हैः—

1. वरिष्ठ सचिव, कृषि मंत्री, हरियाणा ।
2. सचिव, राज्य कृषि मंत्री, हरियाणा ।

—हस्त.—
अवर सचिव
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ।

पृ0क्रमांकः— 1755—Agri-II(1)—2017/9304 दिनांकः—13.06.2017

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती हैः—

1. हरियाणा के सभी जिलों के उपायुक्त ।
2. हरियाणा में सभी जिलों के उप कृषि निदे”ाक ।

—हस्त.—
अवर सचिव
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ।

Annexure-A

Threshold Yield

Sr. No.	District	Block	Threshold Yield (Kgs/ Hect.)							
			Paddy	Bajra	Maize	Cotton	Wheat	Gram	Barley	Mustard
1	Sirsa	Sirsa	3051.36	1732.14	2457.90	640.80	4664.34	1051.20	3653.10	1477.26
2		Nathusari	2476.98	1727.64	2655.00	607.14	4464.00	949.68	3086.10	1673.82
3		Baragudha	3090.96	1783.35	4300.20	631.44	4645.26	995.40	3741.30	1555.92
4		Rania	3310.38	1619.10	3146.40	628.74	4595.40	973.62	3727.08	1686.24
5		Ellenabad	3267.72	1526.04	2119.50	604.98	4769.64	1050.84	3151.98	1478.70
6		Dabwali	3784.50	1994.58	2555.10	628.02	4522.32	855.54	3379.32	1554.48
7		Odhan	2964.96	2001.60	2349.00	639.18	4504.86	1023.98	3708.00	1606.86
8	Bhiwani	Loharu	-	1477.98	-	565.38	4070.70	894.60	3141.90	1114.38
9		Bhiwani	1981.44	1473.84	2806.65	410.76	3811.32	661.50	2942.64	1234.44
10		Tosham	2069.82	1179.18	-	517.50	3856.68	857.52	2768.04	1399.86
11		Bawani Khera	1824.48	1884.60	4137.30	455.58	3851.64	881.64	3217.86	1592.46
12		Dadri-I	2152.26	1390.50	-	413.46	3771.36	881.10	3340.26	1604.52
13		Dadri-II	1978.92	1562.22	-	514.44	3806.10	900.36	2942.28	1505.88
14		Badhra	1494.45	1349.28	-	440.10	3788.46	1124.46	3156.48	1493.64
15		Siwani	2569.20	1127.70	-	563.58	3609.36	457.92	2448.00	1252.44
16		Kairu	2004.98	1328.04	-	395.28	3868.02	546.84	2795.76	1304.28
17		Behal	-	1311.66	-	552.60	3561.66	696.60	3039.30	1193.76
18	Faridabad	Faridabad	2121.48	1586.88	-	-	4003.92		3261.06	1357.92
19		Ballabgarh	2267.10	1438.02	1370.70	659.93	3941.82		3102.48	1377.36
20	Kurukshetra	Thanesar	3232.44	-	2300.40	-	4211.82	-	-	1482.12
21		Shahabad	3643.38	-	-	-	4276.44	-	-	1482.12
22		Ladwa	3380.40	-	-	-	4309.56	-	-	1482.12
23		Pehowa	3278.34	1836.00	-	-	4466.70	906.3	-	1482.12
24		Babain	3651.66	-	-	-	4395.60	-	-	1482.12
25	Kaithal	Kaithal	2392.56	2106.00	2025.00	546.66	4331.34	-	-	1482.12
26		Pundri	2505.96	1847.34	2300.40	616.50	4573.26	906.3	-	1482.12
27		Kalayat	2214.90	1949.58	-	592.38	4247.64	-	-	1482.12
28		Rajound	2252.88	1870.38	-	548.28	4139.28	-	-	1465.43
29		Gulha	3338.46	2122.80	-	-	4362.12	812.7	-	1482.12
30		Siwan	3691.44	-	-	-	4521.42	-	-	1448.10
31	Panchkula	Morni	2120.22	1600.20	2244.96	-	1815.48	-	-	1355.18
32		Barwala	3039.30	2096.10	2264.94	-	3555.90	851.85	3137.40	1375.20
33		Raipurrani	3067.02	1826.55	1989.00	-	3209.76	817.74	3137.40	1367.28
34		Pinjore	3005.82	1376.55	1766.70	-	3073.86	882.9	-	1311.48

35	Rewari	Rewari	2597.22	1916.64	-	405.00	4082.40	-	3261.24	1768.32
36		Khol	2528.28	1548.54	-	402.53	4432.14	-	2937.42	1798.02
37		Jatusana	2531.52	2155.86	-	372.96	4303.98	-	3665.88	1675.08
38		Bawal	2739.60	2067.66	-	460.20	4484.88	-	3494.70	1776.06
39		Nahar	2453.40	1951.56	-	414.90	4438.62	-	3387.60	1663.74
40	Hisar	Hansi-I	2338.56	1595.70	-	500.04	4185.90	892.08	3231.18	1573.20
41		Hansi-II	1772.10	1580.04	-	481.50	4011.30	806.40	2757.06	1603.08
42		Narnaund	2248.20	1804.50	-	446.94	4124.34	715.95	3185.10	1547.82
43		Hisar-I	2150.10	1935.54	3840.30	585.00	4187.88	697.14	3136.86	1410.12
44		Hisar-II	3158.28	1745.64	1754.10	526.68	4285.44	646.38	2632.14	1515.78
45		Barwala	2352.78	1939.68	-	640.08	4328.28	784.80	3169.08	1645.38
46		Uklana	2444.22	2002.50	3038.40	578.88	4196.34	581.63	3041.82	1788.30
47		Agroha	2346.48	1992.42	3141.90	576.72	4179.42	631.80	2667.24	1430.28
48		Adampur	3263.40	1725.84	3714.30	574.56	3991.14	666.90	2652.48	1423.80
49	Sonepat	Sonepat	2244.06	1813.68	2520.90	581.40	4336.56	-	2938.50	1286.82
50		Rai	2179.98	1942.74	2577.06	499.05	4405.86	-	-	1141.56
51		Kharkhoda	1950.84	1980.54	2547.72	547.50	4232.70	-	2836.50	1401.66
52		Gohana	2015.46	1934.28	-	493.38	4067.64	-	2376.30	1356.66
53		Kathura	2155.86	2073.24	2025.00	549.36	4201.38	-	2339.10	1397.70
54		Mundlana	2067.66	1598.76	2136.60	642.96	4169.70	-	3134.25	1439.82
55		Ganaur	2283.48	1551.06	-	488.25	4301.64	-	-	1130.22
56	Gurgaon	Gurgaon	2612.52	1878.84	-	-	4071.96	-	4067.82	1650.60
57		Farrukhnagar	2672.28	1842.48	-	306.00	4228.92	-	4112.46	1740.42
58		Sohna	2601.72	1505.52	-	365.40	3826.26	-	4067.82	1506.60
59		Pataudi	2604.78	2094.84	-	438.90	4330.08	-	4074.48	1694.88
60	Karnal	Karnal	2939.76	2115.90	2273.85	-	4597.92	-	-	1482.12
61		Nissing	3260.52	1894.80	2399.40	-	4487.22	-	-	1483.88
62		Indri	3145.68	-	-	-	4468.14	-	-	1482.12
63		Gharaunda	2725.20	1842.75	2108.70	-	4262.04	-	3200.40	1482.12
64		Assandh	2622.42	1807.20	-	548.10	4425.84	882.9	-	1482.12
65		Nilokheri	2512.80	-	-	-	4350.42	-	-	1482.12
66	Ambala	Ambala-I	2766.96	-	-	-	3991.68	-	3110.40	1482.12
67		Ambala-II	3353.94	-	-	-	4114.44	-	-	1482.12
68		Barara	3598.38	1714.20	2705.63	-	3957.66	-	3137.40	1482.12
69		Saha	3241.98	1732.50	2447.10	-	3961.44	-	3137.40	1482.12
70		Naraingarh	3653.10	1689.08	2496.78	-	3600.18	851.85	3137.40	1482.12
71		Sahazadpur	3396.06	1689.08	2499.30	-	3639.60		3137.40	1482.12
72	Jind	Jind	2229.66	1712.16	634.50	412.92	4090.32	-	3298.80	1499.40

73		Julana	2221.20	1701.90	2729.70	462.60	3587.58	782.55	3170.34	1354.50
74		Alewa	2227.50	1639.08	3433.50	502.56	3939.48	-	3314.70	1287.00
75		Safidon	2336.04	1908.36	-	491.85	4234.68	-	-	1610.64
76		Pillukhera	2159.46	1862.46	-	498.78	4168.62	-	-	1437.66
77		Narwana	2779.92	1867.14	1060.20	604.44	4300.74	996.3	3240.18	1706.22
78		Uchana	2525.76	1864.08	1809.90	610.20	4318.38	1172.7	3065.58	1561.50
79	Mahendergarh	Kanina	-	1927.62	-	470.70	4256.82	1134.45	2774.03	1612.62
80		Mahendergarh	-	1697.40	-	409.32	4219.92	869.4	2752.56	1238.58
81		Ateli	-	2031.84	-	466.20	4409.82	1213.87	-	1633.50
82		Narnaul	-	1781.82	-	494.10	3954.06	792.9	2638.20	1221.84
83		Nangal Chaudhary	-	1899.90	-	470.34	3804.66	998.82	2717.78	1220.22
84		Nizampur	-	2070.00	-	529.20	3659.40	-	-	1415.70
85		Sihma	-	2070.00	-	529.20	3659.40	-	-	1415.70
86		Satnali	-	2070.00	-	529.20	3659.40	590.4	3095.10	1415.70
87	Fatehabad	Ratia	3910.68	2021.04	-	628.20	4695.84	1147.50	3368.34	1287.90
88		Fatehabad	3087.90	2140.20	-	655.56	4464.00	1307.03	3047.94	1537.56
89		Bhattukalan	2458.44	2165.94	3148.20	633.24	4348.80	939.06	3173.04	1553.76
90		Bhuna	3021.12	1884.78	-	666.36	4463.28	1270.13	3473.46	1757.52
91		Tohana	3794.94	1946.34	-	633.78	4561.20	1316.70	3368.34	1508.40
92		Jakhal	3883.86	2055.00	-	595.80	4612.68	1316.70	-	757.80
93	Rohtak	Lakhan Majra	2156.40	1634.40	2298.96	407.88	4041.36	840.60	2730.42	1318.32
94		Rohtak	1881.90	1634.40	2298.96	419.94	3893.22	1013.40	2609.10	1299.60
95		Sampla	1735.92	1471.68	2300.40	412.50	3807.36	1013.40	2730.42	1139.04
96		Meham	1736.64	1693.26	2680.20	369.18	3507.48	809.64	2717.10	1286.46
97		Kalanaur	1865.52	1463.94	2298.96	390.24	3880.26	887.76	2683.08	1382.22
98	Jhajjar	Jhajjar	2252.70	1655.10	2586.60	421.88	3928.32	776.025	3176.64	1517.76
99		Beri	1992.96	1547.64	-	443.70	3889.62	1046.52	2752.56	1422.36
100		Salhawas	1425.60	1819.80	-	383.40	4037.22	1120.5	3394.98	1541.88
101		Matanhail	2026.26	1531.80	-	429.84	4080.24	1318.2	3907.26	1561.32
102		Bahadurgarh	2118.60	1878.48	2461.80	443.25	3722.76	630.9	3300.84	1358.46
103	Panipat	Panipat	2417.04	-	-	-	4269.24	-	-	1482.12
104		Samalkha	2158.02	1545.12	-	-	4431.78	-	3269.70	1482.12
105		Madlauda	2316.24	1711.35	-	-	4196.70	-	-	1482.12
106		Bapoli	2284.56	1548.60	-	-	4432.14	-	-	1482.12
107		Israna	2280.78	1703.34	-	639.00	4357.80	-	-	1482.12
108	Yamunanagar	Jagadhari	3262.14	-	-	-	4235.04	-	-	1545.66
109		Bilaspur	3510.00	1676.70	2058.30	-	4042.98	913.95	-	1436.22
110		Radaur	3312.18	-	-	-	4485.24	-	-	1419.84

111		Sadhaura	3521.52	1574.10	2375.10	-	3974.40	851.85	-	1436.22
112		Chhachharauli	3314.16	1690.43	2524.28	-	4074.66	-	-	1398.78
113		Mustafabad	3250.08	-	2313.90	-	4323.60	-	-	1397.16
114	Mewat	Nuh	2613.78	1517.58	-	451.80	3681.00	1065.3	3996.90	1463.22
115		Tauru	2635.20	1947.24	-	391.50	3915.36	-	3403.80	1403.64
116		Ferozpur Jhirka	-	1378.62	-	424.80	3563.82	1015.2	3143.16	1550.70
117		Nagina	2450.03	1329.66	-	642.60	3663.36	1064.52	2588.58	1461.42
118		Punhana	2670.66	1755.36	-	436.95	4006.08	-	3332.16	1651.50
119	Palwal	Palwal	2449.26	1897.92	-	530.70	4132.80	-	3279.24	1639.08
120		Hodal	2409.48	1597.14	-	530.28	4030.20	-	3003.66	1626.48
121		Hassanpur	2515.50	1581.84	-	521.70	4345.74	-	3310.20	1630.26
122		Hathin	2266.74	1813.32	-	481.50	3998.88	-	2630.52	1661.94
	Average Threshold Yield of State		**2632.63**	**1758.76**	**2471.17**	**512.12**	**4108.33**	**897.76**	**3145.46**	**1469.45**

Annexure-B

Sum Insured, Premium and Subsidy

Cluster-I

Sr. No.	District	Season	Crop	Sum Insured (Rs/ Hect.)	Premium (Rs./ Hect.)				
					Farmer's Share	Subsidy			Total Premium
						State Share	Central Share	Total Subsidy	
1.	Sirsa	Kharif	Cotton	69000	1380.00	848.70	-	848.70	2228.70
			Paddy	71500	1072.50	-	-	0.00	1072.50
			Bajra	33500	670.00	353.425	353.425	706.85	1376.85
			Maize	36000	720.00	104.40	104.40	208.80	928.80
		Rabi	Wheat	60500	907.50	-	-	0.00	907.50
			Barley	33500	502.50	167.50	167.50	335.00	837.50
			Mustard	36000	540.00	-	-	0.00	540.00
			Gram	26000	390.00	1049.10	1049.10	2098.20	2488.20
2.	Bhiwani	Kharif	Cotton	69000	1380.00	4071.00	2001.00	6072.00	7452.00
			Paddy	71500	1430.00	1430.00	1430.00	2860.00	4290.00
			Bajra	33500	670.00	502.50	502.50	1005.00	1675.00
			Maize	36000	720.00	331.20	331.20	662.40	1382.40
		Rabi	Wheat	60500	907.50	535.425	535.425	1070.85	1978.35
			Barley	33500	502.50	865.975	865.975	1731.95	2234.45
			Mustard	36000	540.00	-	-	0.00	540.00
			Gram	26000	390.00	2275.00	2275.00	4550.00	4940.00

3.	Faridabad	Kharif	Cotton	69000	1380.00	3098.10	1028.10	4126.20	5506.20
			Paddy	71500	1194.05	-	-	0.00	1194.05
			Bajra	33500	643.20	-	-	-	643.20
			Maize	36000	698.40	-	-	0.00	698.40
		Rabi	Wheat	60500	907.50	1663.75	1663.75	3327.50	4235.00
			Barley	33500	502.50	844.20	844.20	1688.40	2190.90
			Mustard	36000	540.00	685.80	685.80	1371.60	1911.60
			Gram	26000	390.00	2024.10	2024.10	4048.20	4438.20
4.	Kurukshetra	Kharif	Cotton	69000	1380.00	2242.50	172.50	2415.00	3795.00
			Paddy	71500	1072.50	-	-	0.00	1072.50
			Bajra	33500	502.50	-	-	0.00	502.50
			Maize	36000	720.00	108.00	108.00	216.00	936.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	-	-	0.00	907.50
			Barley	33500	502.50	-	-	0.00	502.50
			Mustard	36000	540.00	-	-	0.00	540.00
			Gram	26000	390.00	2016.30	2016.30	4032.60	4422.60
5.	Kaithal	Kharif	Cotton	69000	1380.00	6423.90	4353.90	10777.80	12157.80
			Paddy	71500	1072.50	-	-	0.00	1072.50
			Bajra	33500	670.00	685.075	685.075	1370.15	2040.15
			Maize	36000	720.00	212.00	212.00	424.80	1144.80
		Rabi	Wheat	60500	907.50	-	-	0.00	907.50
			Barley	33500	502.50	-	-	0.00	502.50

			Mustard	36000	540.00	-	-	0.00	540.00
			Gram	26000	390.00	1981.20	1981.20	3962.40	4352.40
6.	Panchkula	Kharif	Cotton	69000	1380.00	3115.35	1045.35	4160.70	5540.70
			Paddy	71500	1430.00	1787.50	1787.50	3575.00	5005.00
			Bajra	33500	576.20	-	-	-	576.20
			Maize	36000	720.00	795.60	795.60	1591.20	2311.20
		Rabi	Wheat	60500	907.50	680.625	680.625	1361.25	2268.75
			Barley	33500	502.50	-	-	0.00	502.50
			Mustard	36000	540.00	3526.20	3526.20	7052.40	7592.40
			Gram	26000	390.00	1885.00	1885.00	3770.00	4160.00
7.	Rewari	Kharif	Cotton	69000	1380.00	2156.25	86.25	2242.50	3622.50
			Paddy	71500	1430.00	1430.00	1430.00	2860.00	4290.00
			Bajra	33500	629.80	-	-	-	629.80
			Maize	36000	720.00	336.60	336.60	673.20	1393.20
		Rabi	Wheat	60500	907.50	-	-	0.00	907.50
			Barley	33500	502.50	825.775	825.775	1651.55	2154.05
			Mustard	36000	540.00	234.00	234.00	468.00	1008.00
			Gram	26000	390.00	2024.10	2024.10	4048.20	4438.20

Conversion of Farmers share in Acres/ Kanal/ Marla

1. Premium for one acre = 0.404686 x premium for one Hect.

2. Premium for one Kanal = 0.0505857 x premium for one Hect.
3. Premium for one Marla = 0.00252929 x premium for one Hect.

Annexure-B

Sum Insured, Premium and Subsidy

Cluster-II

Sr. No.	District	Season	Crop	Sum Insured (Rs/ Hect.)	Premium (Rs./ Hect.)				
					Farmer's Share	Subsidy			Total Premium
						State Share	Central Share	Total Subsidy	
1.	Hisar	Kharif	Cotton	69000	1380.00	3795.00	1725.00	5520.00	6900.00
			Paddy	71500	1430.00	1072.50	1072.50	2145.00	3575.00
			Bajra	33500	670.00	502.50	502.50	1005.00	1675.00
			Maize	36000	720.00	-	-	0.00	720.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	453.75	453.75	907.50	1815.00
			Barley	33500	502.50	1256.25	1256.25	2512.50	3015.00
			Mustard	36000	540.00	450.00	450.00	900.00	1440.00
			Gram	26000	390.00	585.00	585.00	1170.00	1560.00
2.	Sonepat	Kharif	Cotton	69000	1380.00	2415.00	345.00	2760.00	4140.00
			Paddy	71500	1430.00	536.50	536.50	1073.00	2503.00
			Bajra	33500	670.00	335.00	335.00	670.00	1340.00
			Maize	36000	540.00	-	-	0.00	540.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	453.75	453.75	907.50	1815.00
			Barley	33500	502.50	335.25	335.25	670.50	1173.00
			Mustard	36000	540.00	450.00	450.00	900.00	1440.00
			Gram	26000	390.00	-	-	0.00	390.00
3.	Gurgaon	Kharif	Cotton	69000	1380.00	3105.00	1035.00	4140.00	5520.00
			Paddy	71500	1430.00	-	-	0.00	1430.00
			Bajra	33500	670.00	502.50	502.50	1005.00	1675.00
			Maize	36000	540.00	-	-	0.00	540.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	1058.75	1058.75	2117.50	3025.00

			Barley	33500	502.50	921.25	921.25	1842.50	2345.00
			Mustard	36000	540.00	810.00	810.00	1620.00	2160.00
			Gram	26000	390.00	-	-	0.00	390.00
4.	Karnal	Kharif	Cotton	69000	1380.00	-	-	0.00	1380.00
			Paddy	71500	1430.00	536.50	536.50	1073.00	2503.00
			Bajra	33500	503.00	-	-	0.00	503.00
			Maize	36000	720.00	-	-	0.00	720.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	453.75	453.75	907.50	1815.00
			Barley	33500	502.50	0.25	0.25	0.50	503.00
			Mustard	36000	540.00	90.00	90.00	180.00	720.00
			Gram	26000	390.00	65.00	65.00	130.00	520.00
5.	Ambala	Kharif	Cotton	69000	1035.00	-	-	0.00	1035.00
			Paddy	71500	1430.00	536.50	536.50	1073.00	2503.00
			Bajra	33500	503.00	-	-	0.00	503.00
			Maize	36000	720.00	180.00	180.00	360.00	1080.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	911.25	911.25	1822.50	2730.00
			Barley	33500	502.50	0.25	0.25	0.50	503.00
			Mustard	36000	540.00	270.00	270.00	540.00	1080.00
			Gram	26000	390.00	-	-	0.00	390.00
6.	Jind	Kharif	Cotton	69000	1380.00	3105.00	1035.00	4140.00	5520.00
			Paddy	71500	1430.00	715.00	715.00	1430.00	2860.00
			Bajra	33500	670.00	335.00	335.00	670.00	1340.00
			Maize	36000	540.00	-	-	0.00	540.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	453.75	453.75	907.50	1815.00
			Barley	33500	502.50	586.25	586.25	1172.50	1675.00
			Mustard	36000	540.00	630.00	630.00	1260.00	1800.00
			Gram	26000	390.00	-	-	0.00	390.00
7.	M.Garh	Kharif	Cotton	69000	1380.00	2587.50	517.50	3105.00	4485.00
			Paddy	71500	1073.00	-	-	0.00	1073.00

			Bajra	33500	670.00	837.50	837.50	1675.00	2345.00
			Maize	36000	540.00	-	-	0.00	540.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	1058.75	1058.75	2117.50	3025.00
			Barley	33500	502.50	1088.75	1088.75	2177.50	2680.00
			Mustard	36000	540.00	270.00	270.00	540.00	1080.00
			Gram	26000	390.00	845.00	845.00	1690.00	2080.00

Conversion of Farmers share in Acres/ Kanal/ Marla

1. Premium for one acre = 0.404686 x premium for one Hect.
2. Premium for one Kanal = 0.0505857 x premium for one Hect.
3. Premium for one Marla = 0.00252929 x premium for one Hect.

Annexure-B

Sum Insured, Premium and Subsidy

Cluster-III

Sr. No.	District	Season	Crop	Sum Insured (Rs/ Hect.)	Premium (Rs./ Hect.)				
					Farmer's Share	Subsidy			Total Premium
						State Share	Central Share	Total Subsidy	
1.	Fatehabad	Kharif	Cotton	69000	1380.00	1725.00	-	1725.00	3105.00
			Paddy	71500	1430.00	179.00	179.00	358.00	1788.00
			Bajra	33500	670.00	586.50	586.50	1173.00	1843.00
			Maize	36000	540.00	-	-	0.00	540.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	302.75	302.75	605.50	1513.00
			Barley	33500	502.50	0.25	0.25	0.50	503.00
			Mustard	36000	540.00	270.00	270.00	540.00	1080.00
			Gram	26000	390.00	325.00	325.00	650.00	1040.00
2.	Rohtak	Kharif	Cotton	69000	1380.00	4830.00	2760.00	7590.00	8970.00
			Paddy	71500	1430.00	3217.50	3217.50	6435.00	7865.00
			Bajra	33500	670.00	754.00	754.00	1508.00	2178.00
			Maize	36000	720.00	180.00	180.00	360.00	1080.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	453.75	453.75	907.50	1815.00
			Barley	33500	502.50	586.25	586.25	1172.50	1675.00
			Mustard	36000	540.00	270.00	270.00	540.00	1080.00
			Gram	26000	390.00	65.00	65.00	130.00	520.00
3.	Jhajjar	Kharif	Cotton	69000	1380.00	2070.00	-	2070.00	3450.00
			Paddy	71500	1430.00	1609.00	1609.00	3218.00	4648.00
			Bajra	33500	670.00	377.00	377.00	754.00	1424.00
			Maize	36000	720.00	90.00	90.00	180.00	900.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	453.75	453.75	907.50	1815.00

			Barley	33500	502.50	586.25	586.25	1172.50	1675.00
			Mustard	36000	540.00	360.00	360.00	720.00	1260.00
			Gram	26000	390.00	715.00	715.00	1430.00	1820.00
4.	Mewat	Kharif	Cotton	69000	1380.00	2760.00	690.00	3450.00	4830.00
			Paddy	71500	1430.00	1072.50	1072.50	2145.00	3575.00
			Bajra	33500	670.00	335.00	335.00	670.00	1340.00
			Maize	36000	720.00	-	-	0.00	720.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	453.75	453.75	907.50	1815.00
			Barley	33500	502.50	586.25	586.25	1172.50	1675.00
			Mustard	36000	540.00	630.00	630.00	1260.00	1800.00
			Gram	26000	390.00	325.00	325.00	650.00	1040.00
5.	Palwal	Kharif	Cotton	69000	1380.00	2587.50	517.50	3105.00	4485.00
			Paddy	71500	1430.00	715.00	715.00	1430.00	2860.00
			Bajra	33500	670.00	921.50	921.50	1843.00	2513.00
			Maize	36000	720.00	-	-	0.00	720.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	680.75	680.75	1361.50	2269.00
			Barley	33500	502.50	586.25	586.25	1172.50	1675.00
			Mustard	36000	540.00	450.00	450.00	900.00	1440.00
			Gram	26000	390.00	65.00	65.00	130.00	520.00
6.	Panipat	Kharif	Cotton	69000	1380.00	-	-	0.00	1380.00
			Paddy	71500	1430.00	536.50	536.50	1073.00	2503.00
			Bajra	33500	670.00	-	-	0.00	670.00
			Maize	36000	720.00	-	-	0.00	720.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	756.25	756.25	1512.50	2420.00
			Barley	33500	502.50	83.75	83.75	167.50	670.00
			Mustard	36000	540.00	90.00	90.00	180.00	720.00
			Gram	26000	390.00	65.00	65.00	130.00	520.00
7.	Y.Nagar	Kharif	Cotton	69000	1380.00	-	-	0.00	1380.00
			Paddy	71500	1430.00	357.50	357.50	715.00	2145.00

			Bajra	33500	670.00	-	-	0.00	670.00
			Maize	36000	720.00	540.00	540.00	1080.00	1800.00
		Rabi	Wheat	60500	907.50	756.25	756.25	1512.50	2420.00
			Barley	33500	502.50	83.75	83.75	167.50	670.00
			Mustard	36000	540.00	180.00	180.00	360.00	900.00
			Gram	26000	390.00	195.00	195.00	390.00	780.00

Conversion of Farmers share in Acres/ Kanal/ Marla

1. Premium for one acre = 0.404686 x premium for one Hect.
2. Premium for one Kanal = 0.0505857 x premium for one Hect.
3. Premium for one Marla = 0.00252929 x premium for one Hect.

अनुबन्ध–ग

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0)

किसान द्वारा प्रस्ताव/आवेदन

क. **निजी ब्यौरे**

1. नामः
2. पिता/पति का नामः
3 मोबाईल नं0ः
4. ई–मेल आई0डी0ः
5. आयुः
6. लिंगः (टिक करें) पुरूष/स्त्री/अन्य
7. वर्गः : (टिक करें) सामान्य/एस0सी0/ओ0बी0सी0
8. यू0आई0डी0 (कोई एक)
   (i) आधार कार्ड नम्बर———————————————
   (ii) पैन कार्ड नम्बर———————————————
   (iii) पासपोर्ट नम्बर———————————————
   (iv) चालक लाईसैंस——————————————
   (v) वोटर आई0डी0——————————————
   (vi) किसान क्रेडिट कार्ड नम्बर——————————
   (vii) अन्य————————————————————

ख. **किसानों का वर्ग**

9. किसान की किस्मः (टिक करें) लघु/सीमान्त/अन्य
10. कर्जदार/अकर्जदार (टिक करें)

ग. **बीमाकृत ईकाई क्षेत्र/खेत का पता**

11. राज्यः
12. जिलाः
13. उपमण्डलः
14. खण्डः
15. गांव :
16. ग्राम पंचायतः
17 मौसमः (टिक करें) खरीफ/रबी
18. स्कीम (टीक करें) पी0एम0एफ0बी0वाई0/डब्ल्यू0 बी0सी0आई0एस0

घ. **बैक विवरण (दावे जमा करने के लिए)**

19 बैंक————————————————
20. शाखा————————————————
21. खाता किस्म (टिक करें) बजत खाता/ऋण खाता——————————
22. बैक खाता नम्बर——————————————

23. नामांकित का नाम तथा (रि”ता) ——————————————————

ड. **<u>भू–अभिलेखः</u>**

भूमि की किस्म	स्वामी का नाम तथा पता	द”ार्ए गए क्षेत्र की मुरब्बा तथा खसरा संख्या	द”ार्या गया क्षेत्र
अपनी भूमि			
पट्टा भूमि			
कुल			

च. **फसल विवरण**

क 0स0	सैक्टर	वर्ग	फसल	बीमाकृत क्षेत्र (हैक्टेयर में)	प्रथम किस्त वापस ली गई	संगणित किस्त (बैंक द्वारा)
1	कृशि / बागवानी				रा”ि——— दिनांक———	

दिनांक

(किसान के हस्ताक्षर)

विशयः—   स्थानीय आपदा से हुए नुकसान के मुआवजे बारे—गांव लाडवा, जिला हिसार ।

,,,,,,,,,,,,,,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अधिकारीगण को अवगत करवाया जाता है कि दिनांक 29—06—2017 को प्रधान सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2017—18 में लागू करने बारे एक बैठक का आयोजन किया गया था **(बैठक की कार्यवाही कापी संलग्न)** । उपरोक्त बैठक में गांव लाडवा, जिला हिसार के किसानों को स्थानीय आपदाओं से फसल में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने बारे अतिरिक्त निदे"ाक (विस्तार) ने मुद्दा उठाया था, जो कि बैठक की कार्यवाही में नं0 13 में अंकित है ।

दिनांक 05—07—2017 को सम्बन्धित बीमा कम्पनी बजाज एलियान्ज ने एक विस्तृत रिपोर्ट संयुक्त निदे"ाक (सांख्यिकी) के कार्यालय में जमा करवाई है जोकि पताका **'क'** पर रखी है, जिसका अवलोकन करने उपरान्त सम्बन्धित गांव लाडवा में 104 किसानों की विस्तृत रिपोर्ट द"ार्इ गई है, जो निम्न प्रकार से है :—

1. 12 किसानों के मामलों को उप निदे"ाक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हिसार के साथ बैठक कर सुलझा लिया गया है ।
2. 4 किसानों को अतिरिक्त मुआवजा जो उनका बनता था दे दिया गया है ।
3. 10 किसानों का मुआवजा विचाराधीन है ।
4. 10 किसानों को दिये गये मुआवजे में कोई भी सं"ाोधन नहीं है ।
5. 2 किसानों की फसल नुकसान ही नहीं हुआ ।
6. 7 किसानों से मुआवजा लेने की सूचना प्राप्त नहीं हुई ।
7. 19 किसानों का स्थानीय जोखिम के कारण फसल नष्ट नहीं हुई, बीमारी से हुई है, रिपोर्ट पताका **'ख'** पर रखी गई है ।
8. 3 किसानों की फसल का बीमा ही नहीं हुआ ।
9. 15 किसानों के मुआवजे से सम्बन्धित कागजात मांगे गये थे, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
10. 15 किसानों को दोबारा—दोबारा द"ाया गया है ।
11. 3 किसानों ने बीमा ही नहीं कर रखा था ।

अतः उपरोक्त 104 किसानों को स्थानीय आपदा से हुए नुकसान बारे मामला निदे"ाक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,हरियाणा, पंचकूला को सूचनार्थ प्रस्तुत है ।